पत्रांक–03 / मेट्रो–17–02 / 2025 / न० वि० एवं आ० वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजीव शंकर,
सरकार संयुक्त सचिव,
नगर विकास एंव आवास विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।
***द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार**

पटना, दिनांक.....

विषयः– पटना मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण एवं क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 में कुल ₹628.32 करोड़ (छः सौ अठाईस करोड़ बत्तीस लाख रू0) मात्र के सब्सिडी के रूप में व्यय की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत।

पटना मेट्रो रेल परियोजना के कार्यान्वयन हेतु Special Purpose Vehicle (SPV) पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि0 (PMRCL) का गठन संकल्प सं0–2406 दिनांक–26.09.2018 द्वारा किया गया है तथा संकल्प सं0–5244 दिनांक–09.10.2018 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–K-14011/P-I/2016-UT-V दिनांक–27.02.2019 के आलोक में राज्य सरकार को निवेश मद में रू0 1840.31 करोड़ एवं भू–अर्जन मद में रू0 9201.55 करोड़ योगदान करना है। पटना मेट्रो रेल परियोजना के कार्यान्वयन में Land, R&R and PPP Component को छोड़कर निवेश करने हेतु Project cost की कुल राशि का केन्द्र एवं राज्य सरकार की हिस्सेदारी 20–20 प्रतिशत तथा बाह्य एजेंसी से 60% ऋण लिया जाना है।

पटना मेट्रो रेल परियोजना अंतर्गत प्रायोरिटी कॉरिडोर के 02 वर्ष 08 महीने के अवधि के रख–रखाव कार्य के हेतु सेवा कर रहित कुल अनुमानित व्यय ₹179.37 करोड़ मात्र पर इसके प्रबंधन की जिम्मेदारी नामांकन के आधार पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को विभागीय संकल्प संख्या–7946, दिनांक–21.07.2025 द्वारा प्रदान किया गया है।

2. Scheme for Special Assistance to states for Capital investment 2026-27 Part-II अंतर्गत वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक No.44(1)/PF-S/2026-27(CAPEX)-Bihar, दिनांक–23.07.2026 द्वारा कुल ₹925.00 करोड़ रुपये के परियोजना प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान करते हुए उनके पत्रांक-44(1)/PF-S/2026-27(CAPEX)-Part-II-SACE-17, दिनांक–23.07.2026 के माध्यम से प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत राशि का 66 प्रतिशत राशि ₹628.32 करोड़ रुपये विमुक्त की गयी है।

3. उक्त के आलोक में Scheme for Special Assistance to states for Capital investment 2026-27 Part-II अंतर्गत पटना मेट्रो रेल के परिचालन हेतु प्रथम अनुपूरक आगणन से प्राप्त तत्काल स्तंभ–5 में अंकित राशि कुल **₹628.32 करोड़ (छः सौ अठाईस करोड़ बत्तीस लाख रू0)** मात्र मुख्य निर्माण के रूप में व्यय की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है :–

				राशि करोड़ में
क्र0सं0	**योजना का नाम**	**पार्ट–1 अंतर्गत स्कीम के विरूद्ध स्वीकृत राशि**	**प्रथम किश्त के रूप में विमुक्त राशि**	**तत्काल स्वीकृत राशि**
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	पटना मेट्रो रेल परियोजना	**952.00**	**628.32**	**628.32**

4. उक्त स्वीकृत राशि **₹628.32 करोड़ (छः सौ अठाईस करोड़ बत्तीस लाख रू0)** मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना होंगे। उक्त राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561 दिनांक–17.04.98, पत्रांक–236, दिनांक–09.03.2026 एवं पत्रांक–926, दिनांक–31.07.2026 में निहित अनुदेशों के आलोक में सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से चालू वित्तीय वर्ष 2026–27 में बजट से प्रावधानित राशि से किया जाएगा। अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा) के **पी०एल० खाता सं०–PBBPLA015 (HoA 8448 00 120 0035 00 01)** में **CFMS** के माध्यम से **Inter Departmental** विधि से **Online** हस्तांतरित किया जायेगा। तत्पश्चात बुडा द्वारा राशि का हस्तांतरण योजना के कार्यान्वयन एजेंसी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि0 के HDFC Bank Ltd, Sachivalay Branch, Punaichak, Jagdish Ray Complex, Punaichak Sabji Mandi, Nr, Nirman Bhawan, Patna, Bihar 800023 के खाता सं0–50100719925926 एवं IFSC Code-HDFC0005076 में की जायेगी।

5. वित्त विभाग के परिपत्र सं0–7355 वि0 (2), दिनांक–05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवष्यकता नहीं होगी।

6. स्वीकृत राशि **₹628.32 करोड़ (छः सौ अठाईस करोड़ बत्तीस लाख रू0)** मात्र की निकासी मांग संख्या–48, मुख्य शीर्ष–5075–अन्य परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–60–अन्य, लघु शीर्ष–051–निर्माण, उप शीर्ष–0101–पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि0, विषय शीर्ष–5301– मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड–48.5075600510101, विषय शीर्ष–0101.5301 मुख्य निर्माण कार्य अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 में उपबंधित राशि में से होगी।

7. राशि की निकासी किसी भी स्थिति में ए0सी0 विपत्र पर नहीं किया जायेगा। राशि की निकासी करते समय विपत्र पर विपत्र कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा।

8. प्रथम किस्त की विमुक्त राशि के विरूद्ध व्यय किये गये न्यूनतम 75 प्रतिशत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र General Financial Rule 2017 GFR 12-B में हस्ताक्षरित एवं मोहर सहित उपलब्ध कराने की कृपा की जाय, ताकि द्वितीय किश्त की राशि की विमुक्ति का अनुरोध वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से किया जा सके।

9. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को पुस्तकों एवं रजिस्टरों को देखने एवं जांच पड़ताल करने का अधिकार होगा।

10. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका के नोट–31, पृ0 सं०–273/टि0 पर दिनांक–05.08.2026 को एवं प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग का अनुमोदन संचिका के नोट–37 पृ0 सं०–275/टि0 पर दिनांक–07.08.2026 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

सरकार के संयुक्त सचिव,

ज्ञापांकः–03 / मेट्रो–17–02 / 2025 124 / न० वि० एवं आ० वि०, पटना, दिनांकः–10/08/25

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना / वित्त विभाग (बजट शाखा) / योजना एवं विकास विभाग / अपर सचिव–सह–निदेशक, बुडा / प्रबंध निदेशक, पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि0 (PMRCL), इंदिरा भवन, 7वाँ तल, पटना स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार, पटना / मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना मेट्रो अनुरक्षण एवं रख–रखाव, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (DMRCL) / सचिव के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव / उप सचिव–सह–चिवाावनकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2(बजट), 03 एवं 06, नगर विकास एवं आवास विभाग / लेखापाल, बुडा / लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग (दो प्रतियों में) / विभागीय आई0टी0 प्रबंधक को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।